

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-३०९/१/सा.प्र.वि./विविध/2023/८५९।

भिलाई, दिनांक २०/१/२३

## //आदेश//

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत निर्मित अधिकारी/कर्मचारी आवासगृह में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को निम्नांकित शर्तों पर कॉलम नं. 04 में दर्शित आवासगृह आबंटित किया जाता है :—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	आबंटित आवासगृह क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री कृष्ण कुमार जंघेल	उप अभियंता	जी.ए. 04 नेहरू नगर
2	श्री नरेन्द्र कुमार रामटेके	सहायक ग्रेड-02	मदरटेरेसा नगर पानी टंकी
3	श्री अशोक कश्यप	तकनीकी सहायक	जी.ए-02 नेहरू नगर
4	श्री जागेश्वर प्रसाद	सहायक ग्रेड-03	ई.डब्ल्यू.एस. 47/11 मटरटेरेसा नगर
5	सुश्री नम्रता सिंह ठाकुर	सहायक ग्रेड-03	एफ.बी. 02 नेहरू नगर
6	श्री अर्पित द्विवेदी	सहायक राजस्व निरीक्षक	एच-07 मदरटेरेसा नगर
7	श्रीमती भुनेश्वरी तिवारी	स्वच्छता पर्यवेक्षक	एच.ए-06 नेहरू नगर
8	श्री विरेन्द्र बंजारे	समयपाल	जी.ए. 03 नेहरू नगर
9	श्रीमती बी.रत्नम्मा / बी.जोगा राव	सफाई कामगार	ई.डब्ल्यू.एस. 45/13 मदरटेरेसा नगर

### शर्त :—

- आवासगृह में स्वयं के नाम से विद्युत मीटर लगाकर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
- नियमानुसार आवासगृह का किराया वेतन से वसूल किया जावेगा।
- नियमानुसार आवासगृह का जलकर वेतन से वसूल किया जावेगा।
- आबंटित आवासगृह में 15 दिनों के भीतर भौतिक अधिपत्य लेकर लिखित सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवासगृह का आबंटन स्वमेव निरस्त हो जावेगा और आवासगृह आबंटन के लिये प्राप्त शेष आवेदनों पर विचार कर आवासगृह आबंटित कर दिया जावेगा।
- यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को उपयोग हेतु किराये पर देना पूर्णतः प्रतिवंधित है, ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर मूलभूत नियम 45 बी अनुसार आवास का बाजार दर की दुगुनी दर से दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।

क्रमश.....

6. — आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
7. — आवासगृह तथा उसमें लगे विद्युत उपकरण एवं अन्य समान को आवासगृह रिक्त करते समय यथारिथ्ति वापस सौंपना होगा। तोड़-फोड़ तथा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उस पर होने वाले व्यय की राशि आबंटिती से वसूल किया जावेगा।
8. — आबंटिती के स्थानातरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा तथा आबंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवासगृह को अधिपत्य में नहीं रख सकेंगे तथा अनाधिकृत रूप से अधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर से किराया वसूल किया जावेगा।
9. — आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यक्ति को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आबंटिती के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अधिपत्य की अवधि का मकान किराया मूलभूत नियम 45 बी के तहत वसूल किया जावेगा।
10. — इस आदेश के द्वारा आबंटिती द्वारा आवासगृह का अधिपत्य लेने पर पूर्व में आबंटिती को नगर पालिक निगम, भिलाई के अन्य आवासगृह या निगम द्वारा आवेदन अग्रेषित करने या अनुशंसा करने पर अन्य संस्था का आवासगृह आबंटित हो तो तीन दिन के अवधि में रिक्त कर अधिपत्य सौंपना अनिवार्य होगा। अन्यथा दोनों आवासगृहों पर अधिपत्य होने के कारण आबंटन आदेश निरस्त करते हुए आबंटिती के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी तथा दोनों आवासगृहों में से उच्च श्रेणी के आवासगृह का किराया उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जावेगा।
11. — आबंटिती का स्वयं अथवा परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता के नाम नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर निजी मकान, शासन (नजूल विभाग) द्वारा प्राप्त आवासीय पटटा, आवासीय योजना के तहत आबंटित आवास होगा या क्रय किया जाता है तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर उसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
12. — आबंटिती के परिवार के सदस्य पत्नि, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता को कोई शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं या नगर पालिक निगम, भिलाई में आवासगृह आबंटित है अथवा भविष्य में आबंटित हो जाये तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर इसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
13. — यदि आवासगृह का सामान्य/दाण्डिक किराया तथा विद्युत शुल्क/जलकर आदि वकाया रहेगा और उसे रख्य जाना नहीं किया जाता है तो वेतन अथवा देय स्वत्वों अथवा राजस्व के वकाया के रूप से राशि वसूलनीय होगा।

14. — प्रशासनिक कारणों से यह आबंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निररत किया जावेगा तथा आबंटन आदेश निररत किये जाने पर सात दिवस के अन्दर आवासगृह रिक्त करना होगा।
15. — आवासगृह आबंटन/धारण करने एवं किराया के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

भिलाई, दिनांक 20/11/23

पृ.क्र./एफ-309/1/सा.प्र.वि./विविध/2023/1592

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. जोन आयुक्त जोन 1 एवं 3 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक रस्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी रस्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
9. अध्यक्ष, छ.ग. रवायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
11. सर्व संवंधित श्री/श्रीमती/सुश्री..... नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई